Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 32-2022] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 09 अगस्त, 2022
(18 श्रावण, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 67/ह०अ० 6/2016/धा० 17/2022, दिनांक 09 अगस्त, 2022 – हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2022.	657–658
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 अगस्त, 2022

संख्या का॰आ॰ 67/ह॰अ॰ 6/2016/धा॰ 17/2022.— हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) की धारा 17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा उद्यम और रोजगार पॉलिसी, 2020 के उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति नियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति नियम, 2016 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 में, उप–नियम (1) में,–

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु आवेदक, जो सूक्ष्म या लघु या मध्यम उद्यम है, को पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर सभी अपेक्षित कारबार समाशोधन दिए जाएंगे, जिसके बाद ऑटोमेटिड़ डीम्ड समाशोधन, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र पोर्टल पर दिए जाएंगे।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 9 में, –

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यदि आवेदक सूक्ष्म या लघु या मध्यम उद्यम है और संबंधित प्राधिकरण पन्द्रह कार्य दिवस की नियत समय सीमा के भीतर आवेदन पर आदेश पारित करने में असफल रहता है, तो ऐसे आवेदक को ऑटोमेटिड डीम्ड समाशोधन, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र पोर्टल पर दिया जाएंगा।"।

विजयेन्द्र कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 09th August, 2022

No. S.O. 67/H.A. 6/2016/S.17/2022.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 (6 of 2016) and in pursuance of the provisions of the Haryana Enterprises and Employment Policy, 2020, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Enterprises Promotion Rules, 2016, namely :–

1. (1) These rules may be called the Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Enterprises Promotion Rules, 2016 (hereinafter called the said rules), in rule 8:- in sub-rule (1) ,—

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the applicant who is a micro or small or medium enterprise shall be given all requisite business clearance within fifteen working days, beyond which automated deemed clearances shall be granted on the Haryana Enterprises Promotion Centre portal."

3. In the said rules, in rule 9 –

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) The following proviso shall be added, namely :-

"Provided that in case the applicant is micro or small or medium enterprise, if the concerned authority fails to pass orders on the application within stipulated time frame of fifteen working days, automated deemed clearance shall be granted on the Haryana Enterprises Promotion Centre portal to such applicant."

VIJAYENDRA KUMAR,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Industries and Commerce Department.

9776—C.S.—H.G.P., Pkl.